# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 69/2020

उनवान :

1. संदीपकुमार पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।

:—. वादी

ब ना म

1. गणेशाराम पुत्र सुन्दल जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. बलदेव पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी :. वादी
वकील श्री सुरजीत बीजारणीया : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 21.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं 54/154 के खसरा सं 127 की 5.122है0, खसरा सं 141 की 8.612है0, 574 की 2.340है0, खसरा सं 583 की 5.678है0, कुल 21.752है0 बारानी में प्रतिवादी सं 1 गणेशाराम के नाम 20.241है0 में 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता सुन्दल की खातेदारी हुआ करती थी। सुन्दल के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 गणेशाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:19 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु संदीपकुमार पुत्र गणेशाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाउ संवत 2072—75 प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2056 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें



Scanned with CamScanner

वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व दावा में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा सुन्दल से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में गणेशाराम के वारिसान में इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का बहिस्सा बराबर है। इस प्रकार वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

**क्रियात्मक आदेश**

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं 54/154 के खसरा सं 127 की 5.122है0 खसरा सं 141 की 8.612है0 574 की 2.340है0 खसरा सं 583 की 5.678है0 कुल 21.752है0 बारानी में प्रतिवादी सं 1 गणेशाराम के नाम 20.241है0 में 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 संदीपकुमार प्रतिवादी सं 1 गणेशाराम व प्रतिवादी सं 2 बलदेव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:19 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 69/2020

1. संदीपकुमार पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. गणेशाराम पुत्र सुन्दल जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. बलदेव पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाउ के खाता सं 54/154 के खसरा सं 127 की 5.122है0 खसरा सं 141 की 8.612है0 खसरा सं0 574 की 2.340है0 खसरा सं 583 की 5.678है0 कुल 21.752है0 बारानी में प्रतिवादी सं 1 गणेशाराम के नाम 20.241है0 में जो 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी गणेशाराम की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 संदीपकुमार प्रतिवादी सं 1 गणेशाराम व प्रतिवादी सं 2 बलदेव बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner